रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 78] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 27, 1971/वैसाख 7, 1893

No. 78] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 27, 1971/VAISAKHA 7, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 27th April 1971

G.S.R. 655/Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by clause 6 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby rescinds the Order of the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food) No. G.S.R. 920/Ess. Com./Sugar, dated 10th June, 1966, except as respects things done or omitted to be done under the said order.

[No. 1-28/70-S.Py.]

R. S. TALWAR, Jt. Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1971

सा०का०नि० 655.—आवश्यक वस्तु/शर्करा—शर्करा नियन्त्रण आदेश, 1966 के खण्ड 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं० सा० का० नि०:—920/आवश्यक वस्तु/शर्करा, दिनांक 10 जून, 1966 को, उन बातों के सिवाय जो उक्त आदेश के किए की गई हैं अथवा की गई हैं, विखंडित करती है ।

[सं० 1428/70-एम० पी० वाई०]

आर० एस० तलवाड़, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971